राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक : एफ 24 (   ) लेखा–ए/अनु/निकाशि/बजट/11–12/636-706 दिनांक 30-8-11

सचिव
प्रबंध समिति
समस्त अनुदानित महाविधालय
राजस्थान।

विषयः– वित्तिय वर्ष 2011–12 के लिए प्रोविजनल अनुदान सहायता राशि जारी किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तिय वर्ष 2011–12 के लिए वास्तविक व्यय/संभावित व्यय के आधार पर देय अनुदान राशि का आंकलन कर शेष माहों के लिए अनुदान सहायता जारी की जानी है।

कृपया संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना प्रपत्र में अंकित नोट का ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.09.2011 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें । यदि वांछित सूचना नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर वर्ष 2011–12 के शेष महीनों के लिए अनुदान सहायता जारी किया जाना सम्भव नहीं होगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

संस्था का नाम................................

वित्तिय वर्ष 2011–12 (माह अप्रैल 2011 से अगस्त 2011तक) के दौरान वेतन भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय/सम्भावित व्यय की सूचना

क.स.	नाम कर्मचारी	पदनाम	मूल वेतन दि. 1–4–2011 को	वास्तविक व्यय/सम्भावित व्यय						विशेष विवरण
				अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जूलाई 11	अगस्त 11	योग	
	महायोग									

नोट– 1 उपरोक्त के सत्यापनार्थ सम्बंधित माह के वेतन बिल की प्रति एवं वेतन का बैंक के माध्यम से किये गये भुगतान का प्रमाण संलग्न करावे।

2. यदि कोई कर्मचारी उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत हो गया है तो उक्त कर्मचारी का सेवानिवृति तक का ही वेतन क्लेम करावे तथा कोई कर्मचारी उक्त अवधि में अवैतनीक अवकाश पर रहा है अथवा अनुपस्थित रहा है। तो उसका वेतन सम्बधित अवधि का क्लेम नहीं किया जावे।

3. विशेष विवरण में कर्मचारी को प्रदान किये गये महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि एवं अन्य भत्तों की दर अंकित करावें।

4. जो कर्मचारी राजस्थान स्वेछा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत आवेदन कर विभाग में उपस्थिति दे दी है, आवेदन करने के ततपश्चात विभाग में उपस्थिति नहीं दी है, तथा जिन्होने आवेदन ही नही किया है। उक्त के लिए प्रथक–प्रथक सूचना तैयार कर प्रस्तुत की जानी है।

हस्ताक्षर

संस्था सचिव अनुदानित महाविधाल